

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०२४

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन
विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश विधान सभा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १६७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ अधिनियम, २०२४ है।

(२) यह ९ जुलाई, २०२४ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

२. मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १६७२ (क्रमांक २७ सन् १६७२) की धारा ८-के का लोप.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा देय आयकर की सुविधा से संबंधित उपबंध का लोप किया जाना प्रस्तावित है। अतएव, मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १६७२ (क्रमांक २७ सन् १६७२) योग्यता रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख १२ नवम्बर, २०२४.

कैलाश विजयवर्गीय
भारसाथक सदस्य।

उपाद्य गीतिकाव्य

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२
(क्रमांक २७ सन् १९७२) से उद्धरण.

यारा द-क इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को देय समस्त भत्तों की बाबत् और किराये का भुगतान किये विना सुसज्जित निवास स्थान की उस सुविधा की बाबत् एवं उन अन्य परिलक्षियों की बाबत् जो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय हैं, यथास्थिति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से आयकर नहीं लिया जाएगा और वह आयकर यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा देय अधिकतम दर पर राज्य सरकार द्वारा देय होगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देय उक्त भत्तों तथा परिलक्षियों से प्रोद्भूत आय की कुल रकम में से, समय-समय पर अनुज्ञेय आयकर से छूट की सीमा की रकम और मानक कटौतियों की रकम, जो भी हो, घटाई नहीं जाएगी।

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.